श्री पी० शिवशंकर : ऐसी बात तो नहीं है । मैं एक बात इससे पहले भी कह चुका हूं, कुछ दिन पहले अखबारों में यह बड़ी कन्ट्रोवर्सी आई थी इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गत वर्ष 10 मिलियन टन का निर्यात हुआ था। यह कुद्रेमुख का जो लोहा है उससे हट कर दूसरे भागों से इस वर्ष हमारा जो उनसे कांट्रेक्ट हुआ है उसके हिसाब से 10.5 मिलियन टन सिर्फ कुद्रेमुख से हट कर और कुद्रामुख से 1.5 मिलियन टन से 2.5 मिलियन टन तक यानी 13 मिलियन टन तक इस वर्ष जापान के साथ निर्यात करने का निर्णय हुआ है । जहां तक कीमत की कमी का सवाल है हमारे पास जो लोहा है वह 62 से लेकर 65 परसेंट जो फैरस नेटल है, वह करीब 19 डालर पर टन निर्यात हो सकता है । इसमें कुद्रेमुख के लोहे से हट कर जो दूसरा लोहा है जिसके निर्यात के लिये इस वर्ष के लिए कांट्रेक्ट है उसमें 4.91 परसेंट की कीमत कम की गई है। इसके भिन्नभिन्न कारण हैं । एक तो यह है कि जापान में आजकल मार्किट से बड़ी मुश्किल हो गई है। जहां 106 मिलियन टन लोहा जापान निर्यात करता था इस वर्ष वह कम करके 96 मिलियन टन तक करता है । क्योंकि हमें वहां की मार्किट कम्पीट करनी थी इसलिए थोड़ा कम करके हमने लोहे की खनिज को निर्यात करने का प्रयास किया है । हमारे देश का जो लोहा है, हमारे देश में जो पैदा होता है उसकी ज्यादातर खपत हमारे यहां ही हो जाती है वह उसी कीमत पर दिया जाता है और बाहर से जो मंगाया जाता है वह इन्टरनेशनल रेट पर मंगाया जाता है ।

SHRI KAPIL VERMA: Sir, the honourable Minister was talking about Paradip Port. We have recently seen reports in the newspapers that because of some obstacle—a big vessel is still sunk there—it is not fully operational and cannot take big vessels. Is it correct and has the Government been able to clear it?

SHRI P. SHIV SHANKER: Yes, Sir. In Paradip second dredger has been sunk as a result of which exports from that Port have been affected. We have been making hectic efforts to see that the dredger is removed.

बिक्री कर के प्रतिस्थापन संबंधी त्रिपाठी समिति

†*230. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी :**
श्री अश्विनी कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने के संबंध में त्रिपाठी समिति के प्रस्तावों का सार क्या है;

(ख) राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा करने के लिए सुझाए गए उपबंधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिक्रीकर समाप्त करने के बारे में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के क्या विचार हैं और उनमें से प्रत्येक ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है ।

विवरण

(क) तथा (ख) संक्षेप में त्रिपाठी समिति की सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं ।

(i) केन्द्र द्वारा तीन जिन्सों अर्थात वनस्पति, औषध-द्रव्यों तथा दवाइयों और कागज तथा गत्ते पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष वसूल की जाने वाली रकम, आधार वर्ष 1981-82 के लिए बिक्री कर की संभावित वृद्धि दर के आधार पर उस

†सभा में यह प्रश्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा पूछा गया ।

वर्ष के लिए उपयुक्त रूप से लगाए जाने के बाद, बिक्री कर राजस्व को प्रक्षिप्त करके निर्धारित की जाए (जैसा कि समिति द्वारा अनुमान लगाया गया है)।

(II) जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों तथा सीमेंट का संबंध है, जिन पर मुख्यतः प्रशासित मूल्य लागू होते हैं, प्रतिवर्ष एकत्र की जाने वाली रकम का निर्धारण समिति द्वारा इन उत्पादों के लिए निकाले गए बिक्री कर के भार के अनुभागों का प्रयोग करके किया जाना होता है।

(III) योजना के चालू हो जाने के बाद, पहले पांच वर्षों के दौरान अतिरिक्त उपादन शुल्क की प्रतिवर्ष की वसूली से होने वाली आय को समिति द्वारा निकाले गए अनुपातों के आधार पर राज्यों को वितरित किया जाना चाहिए। ये अनुपात 1979-80 तथा 1981-82 की अवधि के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के बिक्री कर का औसत एक साथ तथा प्रत्येक राज्य के बिक्री कर का औसत अलग-अलग लेकर निकाला गया है।

(IV) समिति ने सुझाव दिया है कि उनकी योजना के कार्यान्वयन के दूसरे वर्ष की समाप्ति से पहले एक समीक्षा समिति नियुक्त की जाए तथा उनकी सिफारिशें तीसरे वर्ष के मध्य तक उपलब्ध कराई जाये।

समिति के विशेषज्ञ सदस्य डा० पी० एच० प्रसाद ने एक असहमति टिप्पणी प्रस्तुत की है, जिसका सारांश निम्नानुसार है :-

(I) इस योजना की एक प्रमुख सीमा यह है कि बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाए जाने के परिणामतः उस स्थिति में मूल्य में वृद्धि हो जाएगी जब दोनों मामलों में कर वसूली का स्तर एक ही रखा जाता है।

(II) ऐसे राज्य हैं जिनकी बिक्री कर की दरें कम होने के कारण उससे होने वाली उगाही की रकम अपेक्षाकृत कम है। दूसरी ओर ऐसे राज्य हैं जिनकी बिक्री कर की दरें अधिक होने के कारण उससे होने वाली उगाही की रकम अपेक्षाकृत अधिक है। जब अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की एक समान दर लगाई जाती है तो सभी राज्यों के उपभोक्ताओं को एक ही दर से अदायगी करनी होगी। परन्तु, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का अन्तरण संबंधित राज्यों द्वारा विगत समय में की गई वसूली के आधार पर किये जाने का सुझाव है, इसलिए यह स्पष्ट है कि कुछ राज्य उस रकम से अधिक अदा करेंगे, जो उन्हें सांझे पूल से मिलेगी, जबकि अन्य राज्य उस रकम से कम अदा करेंगे जो उन्हें प्राप्त होगी; तथा

(III) बिक्री-कर राजस्व वसूली का मात्र एक जरिया ही नहीं है अपितु यह वित्तीय नीति का महत्वपूर्ण साधन भी है। स्थानीय जरुरतों तथा स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए बिक्री कर का उपयोग किसी भी राज्य में किसी जिन्स विशेष के संबंध में व्यापार अथवा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए किया जा सकता है। बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन

शुल्क लगाने का अभिप्राय राज्य को एक ऐसे महत्वपूर्ण साधन से वंचित करना है, जिसे राज्य की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

तथापि विशेषज्ञ सदस्य ने कहा है कोई व्यक्ति विशेष मामले के रूप में केवल पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए ही बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने का पक्ष ले सकता है बशर्ते कि एक विमेदी मूल्य योजना बनाई जाए जो मूल्यों को उन्हीं अनुपाती में बनाए रख सके जो भारत में विभिन्न राज्यों में इस समय मौजूद हैं। उनके अनुसार इस प्रकार की कोई योजना संभव है क्योंकि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशासित मूल्य लागू होते हैं।

त्रिपाठी समिति की रिपोर्ट 19-4-1983 को सदन-पटल पर रखी गई थी। रिपोर्ट के अध्याय XII में समिति के निष्कर्षों तथा सिफारिशों का सारांश दिया गया है।

(ग) वनस्पति, औषध-द्रव्यों तथा दवाइयों, सीमेंट, कागज तथा गत्ता और पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के संबंध में त्रिपाठी समिति की सिफारिशों पर 2-11-1983 को आयोजित मुख्य-मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। सम्मेलन में आन्ध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल सिफारिशों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने यह राय व्यक्त की कि बिक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने से राज्यों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा तथा उनके राजस्व तथा संसाधनों का ह्रास होगा। दूसरे राज्यों ने योजना का विरोध नहीं किया। उनमें से अनेकों ने शर्त के साथ अथवा बिना शर्त के सिफारिशों पर अपनी स्वीकृति व्यक्त की थी। सम्मेलन के अन्त में इस आशय का एक संकल्प पारित किया गया था कि इस मामले पर राज्य सरकारों के बीच मतैक्य प्राप्त करने के बारे में प्रयास जारी रख जायें।

चूंकि बिक्री कर मुख्यतः राज्य कराधान का विषय है इसलिए बिक्रीकर प्रणाली में कोई संशोधन केवल राज्यों के परामर्श से तथा सहयोग से किया जा सकता है। अब तक किए गए प्रयासों से कोई मतैक्य नहीं बन सका है।

श्री बाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, वक्तव्य वित्त मन्त्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में दिया है उसमें इस बात का जिक्र है कि 2 नवम्बर, 1983 को मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था और सम्मेलन में अन्त में इस आशय का एक संकल्प पारित किया गया था कि इस मामले पर राज्य सरकारों के बीच मतैक्य प्राप्त करने के बारे में प्रयास जारी रखा जाये। दो साल से अधिक बीत चुके हैं। क्या कोई प्रयास हुआ भी है या यह विचार जो है कि बिक्रीकर को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के स्थान पर लाया जाये इसको त्याग दिया गया है? मैं जानता हूं कि सरकार की मान्यता ही नहीं है हमारे दिल की भी मान्यता है कि बिक्रीकर से भ्रष्टाचार बढ़ता है। उसके कारण उपभोक्ता को तकलीफ होती है और व्यापारी को भी तकलीफ होती है। सरकार में भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। क्या प्रयास हुआ है इस दिशा में मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आडवाणी जी, यह सरकार का मत है कि जो त्रिपाठी कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसका आर्थिक लाभ देश को होगा। मैं यही कह सकता हूं कि एक बार पुनः प्रयास आरम्भ करूंगा... (व्यवधान)। इसमें आंध्र प्रदेश, जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, वैस्ट बंगाल और तमिलनाडु के सहयोग की आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने ही मना किया था।

श्री बाल कृष्ण आडवाणी : इसमें उन राज्यों का नाम लिया गया है जिन्होंने असहमति प्रकट की। इसमें आंध्र प्रदेश का

नाम लिया गया है, कर्नाटक का नाम लिया गया है। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन राज्यों में माना कि बिक्री के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाना चाहिये, आप उनके नाम बताइये। आप ने जो जवाब दिया है, यह कहा है कि—

"The other States did not oppose the scheme. Many of them indicated their acceptance of the recommendations."

Having named those States which have not accepted this recommendation, in fairness to the House, I would like you to name those States which accepted the recommendation. Which are they?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह सूचना मैं आप के पास भेज दूंगा।

SHRI LAL K. ADVANI: It is not fair, Sir. He should name those States.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जिन्होंने मना किया है, नहीं माना है, उनका नाम लिया गया है। जिन्होंने विरोध नहीं किया उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि इसको लागू करना था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन्होंने माना है उनके नाम नहीं दिये गये हैं। आप यह बताइये कि वे कौन-कौन राज्य है जिन्होंने यह मान लिया है कि यह प्रपोजल ठीक है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं यह बताना चाहूंगा कि इसमें कार्यान्वियन मे अवरोध इसलिए आया कि कुछ राज्यों ने इसको नहीं माना और इसीलिये उनके नाम दिये गये है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यह जानना चाहता हूं कि किस-किस राज्य ने इसको माना है? यह ठीक है कि यह एक पोलिटिकल गेम है, कोई किसी को ब्लैम करे। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों ने यह मान लिया है कि वे सेल्स टैक्स की रिफेम करने के लिये तैयार हैं, उनके नाम आप बताइये?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आडवाणी जी, मुझे तो यह आश्वस्त करना था कि इस तरह की चीज सदन में पेश करने में हमारा कोई राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं है। यह तो एक तथ्य है। इन लोगों ने मना किया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसको मैं जानता हूं। इसमें इन्कार नहीं कर रहा हूं कि इसमें दिक्कतें हैं। मैं जानता हूं कि कोई राज्य सरकार चाहे वह कांग्रेस हो या गैर कांग्रेसी हो, वे सहज रूप से इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं। उनकी अपनी कठिनाइयां हैं। लेकिन आपको उनको यह आश्वस्त करना है कि उनके रेवेन्यू उनको बराबर मिलते रहेंगे। जब आपने कहा कि कुछ ने इसको मान लिया है तो मुझे बड़ी खुशी हुई।

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: On what grounds have they objected?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इसका विरोध नहीं किया है।

MR. CHAIRMAN: That is the answer. If you look at the answer, the Minister has said:

"The other States did not oppose the scheme. Many of them indicated their acceptance of the recommendation with or without reservation."

SHRI LAL K. ADVANI: Which are they?

MR. CHAIRMAN: You are trying to pin down the Minister to something. One or two minutes more are left. Second supplementary, would you like to ask. Mr. Advani, or have you exhausted?

SHRI LAL K. ADVANI: No second supplementary.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: I have parts (a) and (b). Part (a), I pursue that point. Which are the States which accepted without reservation? And part (b), is it true that corruption in sales tax is much less than corruption in collection of excise duty?

MR. CHAIRMAN: How can you give an answer to that? He asks whether corruption in collection of sales-tax is less than that in collection of excise duty.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: He might be an expert on corruption. All that I know is to fight corruption.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: This is central corruption.

PROF. C. LAKSHMANNA: Mr. Chairman, Sir, the Minister for Finance was very kind enough to mention the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Jammu and Kashmir, Tamil Nadu, Tripura and West Bengal as the States which were opposed to the recommendations of the Committee for converting sales tax into excise duty. I would like specifically to ask what the grounds were on which these particular States objected to it. If it is that their revenues are likely to be reduced as a result of introduction of this, what answer has been given by the Finance Ministry and the Government of India? Therefore, I would like to ask you to kindly let us know what the exact objections of all these States are.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Sir, it is difficult to give the exact objections of every State. But, by and large, some felt that their revenues would be affected. Some took it that as a matter of fiscal policy sales tax should be with the States. Some thought that it was an intervention into their territory. So, there are various reasons on which they took objections. Generally, these are their objections.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: The replacement of sales tax by additional excise duty...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. Because I wanted to observe the rules very strictly, I did not want to waste that half a minute of the question time.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गैर-सरकारी बैंकों का कार्यकरण

*221. **श्री हरदेश नारायण यादव :***
डा० बापू कालदाते :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय ने हाल ही में की गई जांच के दौरान कुछ गैर-सरकारी बैंकों के कार्यकरण में कतिपय अनियमितायें पाई हैं ;

(ख) इस समय प्रत्येक गैर-सरकारी बैंक की पूंजी कितनी है तथा इनमें से प्रत्येक बैंक द्वारा सरकारी वित्तीय संस्थाओं से अब तक प्राप्त की गयी ऋण की राशि कितनी है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि गैर-सरकारी बैंकों की जमा राशि का दुरुपयोग अध्यक्षों, महाप्रबधकों और निदेशक मंडलों के सदस्यों तथा उनके रिश्तेदारों द्वारा किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). भारत में इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र में 34 वाणिज्यिक बैंक काम कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र के इन 34 बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों का सांविक निरीक्षण करता है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक इनमें से कुछ बैंकों की स्थिति की, आवश्यकतानुसार समय-समय जांच भी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक गैर सरकार क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण पर भी बड़ी बारीकी से नजर रखता है। इन निरीक्षण और जांच के परिणामस्वरूप पाई गई अनियमितताएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उचित उपचारात्मक कार्रवाई के लिए इन बैंकों के निदेशक मण्डलों के ध्यान में लाई जाती है।

दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 को गैर-सरकारी क्षेत्र के इन 34 भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की पूंजी विवरण–1 में दी गई है। गैर-सरकारी क्षेत्र के 34 बैंकों में से प्रत्येक बैंक द्वारा 1985 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय निर्यात आयात और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से प्राप्त की गई पुनर्वित्त सहायता की राशि से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना विवरण–2 में दी गई है।